ई-मेल

प्रेषक,

आयुक्त
ग्राम्य विकास
उत्तर प्रदेश।

सेवामें,

समस्त मुख्य विकास अधिकारी
उत्तर प्रदेश।

पत्रॉकः–जीओ–23/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)10–11 दिनांक 6 सितम्बर–2010

विषयः वित्तीय वर्ष 2010–11 में इंदिरा आवास योजनान्तर्गत सामान्य मद में राज्यांश की धनराशि अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया शासनादेश संख्या–1904/38–4–1–6–बजट/2009, दिनांक 6–9–2010 (छाया प्रति संलग्न) का अवलोकन करें, जिसके द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय व्ययक के अनुदान संख्या–13 में इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत प्रावधानित धनराशि में से अवशेष धनराशि हेतु रू0 45,98,00,000/– (रूपये पैंतालिस करोड़ अट्‌ठानबे लाख मात्र) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 के निस्तारण पर रखने की स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त धनराशि संलग्नक के कालम–3 में दर्शाये गये विवरण के अनुसार तथा निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवंटित की जा रही है :–

1– आवंटित की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– आवंटित की जा रही धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– आवंटित की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो, तो ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा तथा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाये तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक में न रखा जाय।

5– आवंटन आदेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात मुख्य / वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही प्रशासनिक विभाग के माध्यम से वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

6– इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के आयोजनागत पक्ष अधीन लेखाशीर्षक–"2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यकम–702–जवाहर ग्राम समृद्धि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा0–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7– आवंटित धनराशि के आहरण की सूचना, बाउचर संख्या एवं दिनांक सहित विलम्बतम प्रत्येक माह की 5 तारीख तक इस कार्यालय के सम्प्रेक्षा अनुभाग में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

8– उक्त आवंटन की प्रविष्टि केन्द्रीय रजिस्टर आयोजनागत के पृष्ठ–176 पर कर ली गयी है।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
06/09/10

(संजीव कुमार)
आयुक्त,
ग्राम्य विकास,उ0प्र0।

पत्रॉक:–जीओ–23/सम्प्रेक्षा/आई0ए0वाई(सामान्य)10–11 उक्त तिथि।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– महालेखाकार, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2– प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
3– सचिव, अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उ0प्र0शासन।
4– संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5– समस्त मंडलायुक्त/जिलाधिकारी/कोषाधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उ0प्र0।
6– समस्त परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, उ0प्र0।
7– वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–2/वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–2/ राज्य योजना आयोग–2 नियोजन अनुभाग–4
8– ग्राम्य विकास अनुभाग–3
9– संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन, ग्राम्य विकास अनुभाग–4 को उनके पत्रांक–1904/ 38–4–1–6–बजट/2009, दिनांक 6–9–2010 के क्रम में।

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा)
ग्राम्य विकास,उ0प्र0

पत्र संख्या–जीओ–23 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(सामान्य) / 2010–11, दिनांक 6 सितम्बर–2010 का

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	3
1	MEERUT	0.00	21.79
2	GHAZIABAD	0.00	18.60
3	BULANDSHAHAR	45.92	75.42
4	G.B. NAGAR*	13.96	22.93
5	BAGPAT	7.99	13.13
6	SAHARANPUR	64.59	106.08
7	MUZAFARNAGAR	43.43	77.63
8	MORADABAD	70.05	115.05
9	BIJNOR	69.38	113.95
10	RAMPUR	40.58	66.66
11	J.B.F. NAGAR	20.74	34.06
12	BAREILLY	52.95	86.96
13	BADAUN	76.29	125.30
14	SHAHJAHANPUR	81.48	133.83
15	PILIBHIT	69.04	113.39
16	AGRA	44.78	73.55
17	MAINPURI*	30.67	50.37
18	MATHURA	28.49	46.80
19	FIROZABAD	31.03	50.97
20	ALIGARH	52.50	86.22
21	ETAH	27.69	45.48
22	KANSHIRAM NAGAR	21.39	35.13
23	HATHRAS	25.19	41.37
24	JHANSI	17.31	28.44
25	JALAUN	19.59	32.18
26	LALITPUR	14.32	23.51
27	BANDA	17.23	28.30
28	HAMIRPUR	11.53	18.94
29	MAHOBA	8.74	14.35
30	CHITRAKUT	10.52	17.28
31	ALLAHABAD	67.73	111.24
32	FATEHPUR	59.93	98.43
33	PRATAPGARH	66.08	108.53
34	KAUSHAMBHI	36.70	60.28
35	KANPUR NAGAR	47.39	77.84
36	KANPUR DEHAT	46.20	75.88
37	ETAWAH	32.47	53.34
38	FARRUKHABAD	38.48	63.21
39	KANNAUJ	28.59	46.96
40	ORRAIYA	31.98	52.52
41	VARANASI	37.01	60.78
42	GHAZIPUR	66.78	109.69
43	JAUNPUR	129.06	211.97

पत्र संख्या–जीओ–23 / सम्प्रेक्षा / आईएवाई(सामान्य) / 2010–11, दिनांक 6 सितम्बर–2010 का

इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत राज्यांश की धनराशि का आंवटन

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	आवंटित की जा रही धनराशि	प्रगामी योग
1	2	3	3
44	CHANDAULI	31.13	51.13
45	MIRZAPUR	43.11	70.80
46	SONBHADRA	32.17	52.83
47	S. R. NAGAR	26.24	43.10
48	LUCKNOW	50.62	83.15
49	SITAPUR	165.83	272.37
50	UNNAO	91.85	150.87
51	HARDOI	97.03	159.36
52	KHERI	275.93	453.21
53	RAE BARELI	84.08	138.09
54	GORAKHPUR	128.06	210.34
55	DEORIA	139.49	229.11
56	KUSHINAGAR	440.47	723.45
57	MAHRAJGANJ	115.92	190.40
58	BASTI	76.22	125.19
59	SIDHARTHNAGAR	48.20	79.17
60	S.K.NAGAR	46.55	76.45
61	AZAMGARH	98.25	161.37
62	MAU	37.30	61.26
63	BALLIA	145.44	238.88
64	FAIZABAD	50.27	82.56
65	BARABANKI	124.58	204.61
66	SULTANPUR	74.16	121.81
67	AMBEDKARNAGAR	43.41	70.58
68	GONDA	142.69	234.37
69	BAHRAICH	158.86	260.92
70	BALRAMPUR	68.89	113.15
71	SHRAWASTI	55.47	91.13
	STATE TOTAL	4598.00	7598.00

(रू0 पैतालिस करोड़ अट्ठान्नबे लाख मात्र)

(महेश कुमार अग्निहोत्री)
अपर आयुक्त(लेखा),
ग्राम्य विकास, उ0 प्र0।

संख्या–1904 / 38–4–1–6 बजट / 2009

प्रेषक,

सीताराम यादव,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग–4 लखनऊः दिनांक–06 सितम्बर, 2010

विषयः– इन्दिरा आवास योजनान्तर्गत वर्ष–2010–11 के लिए वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–जीओ–19 / सम्प्रेक्षा / आई0ए0वाई0 (सामान्य) 2010–11,दिनांक–12 अगस्त, 2010 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष–2010–2011 में रू0–120.00 करोड़ की बजट व्यवस्था में से शासनादेश संख्या– 650 / 38–4– 10–6 बजट / 10, दिनांक– 25 अप्रैल, 2010 द्वारा रू0–3000.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। अवशेष धनराशि रू0–90.00 करोड़ में से अनुदान संख्या–13 में इन्दिरा आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु रू0–45,98,00,000 / –(रूपये पैतालिस करोड़ अट्ठानबे लाख मात्र) की धनराशि आपके निर्वतन पर रखने की स्वीकृति श्री राज्यपाल महोदय निम्न प्रतिबन्धों / शर्तो के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का आहरण भारत सरकार से केन्द्रांश प्राप्ति के पश्चात आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश की सीमा तक ही किया जायेगा।

2– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि का परिव्यय उपलब्ध है। धनराशि का आहरण तभी किया जाये जब वास्तव में धनराशि की आवश्यकता हो एवं आहरण वितरण अधिकारी पूर्व में हुये निर्माण कार्यो की गुणवत्ता से सन्तुष्ट हो।

3– स्वीकृत की जा रही इस धनराशि को किसी अन्य मद में व्यय नहीं किया जायेगा। कोई ऐसा व्यय जिसके लिए वित्तीय हस्तपुस्तिका तथा बजट मैनुअल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक होगी, के पश्चात ही किया जायेगा।

4– समस्त व्यय प्रश्नगत योजना हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन नियमानुसार किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि आहरित धनराशि का उपयोग समय से कर लिया जाय तथा किसी भी परिस्थितियों में इसे बैंक आदि में नहीं रखा जायेगा।

5– इस शासनादेश में उल्लिखित शर्तो का अनुपालन विभाग में तैनात वित्त नियंत्रक / लेखाधिकारी जैसी भी स्थिति हो, के द्वारा किया जायेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में यदि कोई भी धनराशि अवशेष बचती है तो इसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में ही वित्त विभाग को समर्पित किया जायेगा।

6– तत्सम्बन्धी व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2010–11 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–13 के अधीन लेखा शीर्षक–2505–ग्राम रोजगार–01–राष्ट्रीय कार्यक्रम–702–जवाहर ग्राम समृद्वि योजना–01–केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाएं–05–इन्दिरा आवास योजना (जिला योजना) (के0–75/रा–25–रा0)–27–सब्सिडी के नामे डाला जायेगा।

7– स्वीकृत की जा रही धनराशि का जनपदवार फॉट सम्बन्धित जनपदों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि जिलाधिकारी प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष आवश्यक 25 प्रतिशत राज्यांश का आहरण कर सके।

8– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–2 के अशासकीय पंत्र संख्या–ई–2–577/दस–2010 दिनांक–01 सितम्बर, 2010 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे है।

भवदीय,

6.9.10

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या–1904(1)/38–9–10 तद्दिनांक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. संवंधित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. संवंधित जिला विकास अधिकारी/ परियोजना निदेशक, उत्तर प्रदेश।
4. सचिव, डा0 अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
6. कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. संयुक्त सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
8. संवंधित कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
9. वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग–2/वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–2
10. राज्य योजना आयोग अनुभाग–2/नियोजन अनुभाग–4
11. ग्राम्य विकास अनुभाग–3/7
12. गार्डबुक।

आज्ञा से,

(सीताराम यादव)
संयुक्त सचिव।